न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—279/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

1. सुमित पुनिया
2. मोहित पुनिया

पि. विनोद कुमार जाति जाट सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1 मनोज कुमार
2 विनोद कुमार
3 सावित्री
4 ज्योती देवी
5 शकीला
6 माया देवी

पुत्र/पुत्रीयां ओमप्रकाश जाति जाट सा.नाथवाना तह.संगरिया

7 मनिषा पुत्री विनोद कुमार जाति जाट सा. नाथवाना तह. संगरिया
8 शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे (एडीबी)शाखा हनुमानगढ
9 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री नक्षत्र सिह सिद्धू — वकील वादीगण
2. श्री गुरमीत सिह कलसी — वकील प्रति सं. 1 ता 7

निर्णय दिनांक :— 16.09.2019

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रकिया संहिता के अनुसार वही है जो दावा शीर्षक मे दर्ज है।

चक 2 डी.एल.पी. खाता स. 118/105 खाता विनोद कुमार वगैरा ज.स. 2071—74 मे व चक 5 एम.जे.डी. खाता स. 54/59 खाता विनोद कुमार वगैरा ज.स. 2070—73 में प्रति स. 2 विनोद कुमार के नाम तथा चक 8 एन.टी.डब्लयु. खाता स. 86/83 खाता विनोद कुमार वगैरा ज. स. 2069— 72 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के उक्त खातो की जमाबन्दीयां संलग्न है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रति स. 1 ता 7 के संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जो कि उनके पूर्वजों से विरास्तन प्राप्त हुई है।दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रतिस 1 विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।जिनके वारीसान उनके पुत्र वादीगण व प्रति स. 7 ही है। उक्त आराजी में वादीगण व प्रति स. 7 का उनके पिता प्रति स .2 के साथ जन्म से ही ब.हि.ब. का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। किन्तु प्रति स. 7 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की आराजी का परित्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया है। उक्त वादग्रस्त आराजी में से चक 5 एम.जे.डी. खाता स. 54/59 खाता विनोद कुमार वगैरा ज.स. 2070—73 में दर्ज समस्त आराजी प्रति स. 1 ता 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 7 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. का हिसाब से कर दिया है। अतः उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 7 का कोई हक व

हिस्सा शेष नही है।प्रति स. 1 व 3 ता 6 ने अपना हिस्सा अन्य चको में प्राप्त कर लिया है।एवं चक 8 एन.टी.डब्लयु खाता स. 86/83 खाता विनोद कुमार वगैरा ज.स. 2069–72 में दर्ज कुल 22.583 है0 आराजी में से 8–8 बिधा आराजी यानि कुल 2.024 है. आराजी वादी स. 2 सुमित पुनिया व 2.024 है0 आराजी वादी स. 1 मोहित पुनियां के पक्ष में परित्याग कर दी है।तथा चक 2 डी.एल.पी. खाता स. 118/105 खाता विनोद कुमार वगैरा में प्रति स. 2 व 3 विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश व सावित्री पुत्री ओमप्रकाश के नाम दर्ज समस्त आराजी के वादीगण खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 2 व 3 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादीगण प्राप्त करना चाहते है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम दावा की दफा 4 के मुताबिक दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादीगण को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की ओर से न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश। प्रतिवादी संख्या 8 बैंक की ओर से रजिस्ट्री रसीद पेश की गई। जो शामिल पत्रावली हो। प्रतिवादी संख्या 9 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 सुमित पूनिया की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण फार्म नं. 3 के साथ पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 5 एमजेडी इन्तकाल संख्या 170 व चक 2 डीएलपी इन्तकाल संख्या 236 एवं चक 8 एनटीडब्ल्यू इन्तकाल संख्या 230 की प्रमाणित पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक 5 एम.जे.डी. खाता स. 54/59 खाता विनोद कुमार वगैरा ज.स. 2070–73 में दर्ज कुल 3.037 है0 आराजी व चक 8 एन.टी.डब्लयु खाता स. 86/83 खाता विनोद कुमार वगैरा ज.स. 2069–72 में प्रति स. 2 विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश के नाम दर्ज कुल आराजी में से 2.024 है. आराजी एवं चक 2 डी.एल.पी. खाता स. 118/105 खाता विनोद कुमार वगैरा में प्रति स. 2 व 3 विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश व सावित्री पुत्री ओमप्रकाश के नाम दर्ज समस्त आराजी पैतृक सम्पति है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादीगण ने चक 5 एमजेडी इन्तकाल संख्या 170 व चक 2 डीएलपी इन्तकाल संख्या 236 एवं चक 8 एनटीडब्ल्यू इन्तकाल संख्या 230 इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिया पेश की है

के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया कि राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता ओमप्रकाश से विरास्तन प्राप्त हुई है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 5 एमजेडी इन्तकाल संख्या 170 व चक 2 डीएलपी इन्तकाल संख्या 236 एवं चक 8 एनटीडब्ल्यू इन्तकाल संख्या 230 की इन्तकाल की प्रमाणित से वादगत आराजी पैतृक सम्पति होना प्रमाणित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाबदावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर चक 5 एम.जे.डी. खाता स. 54/59 खाता विनोद कुमार वगैरा ज.स. 2070–73 में दर्ज कुल 3.037 है0 आराजी के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता में से प्रति स. 1 ता 6 का नाम कलमजन किया जावे। चक 8 एन.टी.डब्लयु खाता स. 86/83 खाता विनोद कुमार वगैरा ज.स. 2069–72 में प्रति स. 2 विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश के नाम दर्ज कुल आराजी में से 2.024 है. आराजी का वादी स. 1 व 2.024 है0 आराजी का वादी स. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी में से प्रति स. 2 विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश का हिस्सा कम किया जावें तथा चक 2 डी.एल.पी. खाता स. 118/105 खाता विनोद कुमार वगैरा में प्रति स. 2 व 3 विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश व सावित्री पुत्री ओमप्रकाश के नाम दर्ज समस्त आराजी के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता में से प्रति स. 2 विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश व प्रति स. 3 सावित्री पुत्री ओमप्रकाश का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–279/2019

1 सुमित पुनिया 2. मोहित पुनिया	पि. विनोद कुमार जाति जाट सा. नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1 मनोज कुमार 2 विनोद कुमार 3 सावित्री 4 ज्योती देवी 5 शकीला 6 माया देवी	पुत्र/पुत्रीयां ओमप्रकाश जाति जाट सा.नाथवाना तह.संगरिया

7 मनिषा पुत्री विनोद कुमार जाति जाट सा. नाथवाना तह. संगरिया
8 शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे (एडीबी)शाखा हनुमानगढ
9 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

– प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिह कलसी वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक 5 एम.जे.डी. खाता स. 54/59 खाता विनोद कुमार वगैरा ज.स. 2070–73 में दर्ज कुल 3.037 है0 आराजी के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता में से प्रति स. 1 ता 6 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं चक 8 एन.टी.डब्लयु खाता स. 86/83 खाता विनोद कुमार वगैरा ज.स. 2069–72 में प्रति स. 2 विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश के नाम दर्ज कुल आराजी में से 2.024 है. आराजी का वादी स. 1 व 2.024 है0 आराजी का वादी स. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी में से प्रति स. 2 विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जाने के आदेश दिये जाते है तथा चक 2 डी.एल. पी. खाता स. 118/105 खाता विनोद कुमार वगैरा में प्रति स. 2 व 3 विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश व सावित्री पुत्री ओमप्रकाश के नाम दर्ज समस्त आराजी के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता में से प्रति स. 2 विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश व प्रति स. 3 सावित्री पुत्री ओमप्रकाश का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोटः– बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.09.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.22 17:36:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: